

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/168 -2001-वि0 1 (1) दिनांक चण्डीगढ़ 25-5-2001

सतमुग खनि विद्यालय जरीवाबाद

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मैट्रिक स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

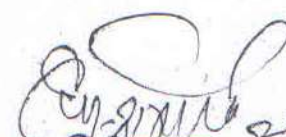
विभागिय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 25-5-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी जरीवाबाद को उनके पत्र क्रमांक 522/01/2148 दिनांक 5-5-2001 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक सतमुग खनि विद्यालय जरीवाबाद जिला
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूसिटी रो प्रांत बिहार, नई दिल्ली- 11002.


अधीक्षक विद्यालय- 89/5
कते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़.